<u>सेवायोजन विभाग का सेवा का नागरिक अधिकार पत्र</u>

उद्देश्य तथा विजन एवं मिशन

उद्देश्य– रोजगार सेवाओं के माध्यम से बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार सहायता प्रदान करना।

विजन– सेवायोजन विभाग का विजन बेरोजगार अभ्यर्थियों को सेवायोजन के अधिकाधिक अवसर प्रदान करने में सहायता करना व मानव संसाधन प्रबन्धन की एक प्रभावी एजेन्सी के रूप में कार्य करना है।

मिशन– सेवायोजन विभाग द्वारा रोजगार के इच्छुक सभी अभ्यर्थियों को सेवायोजन के उचित अवसर प्रदान करने हेतु उनका पंजीयन करना है। नियोजको से प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष के पंजीकृत अभ्यथियों के नामों का सम्प्रेषण कर उनको सेवायोजन के अवसर प्रदान करना है तथा निजी क्षेत्र के नियोजकों को आमंत्रित कर प्लेसमेण्ट ड्राईव के माध्यम से पंजीकृत रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार/प्रशिक्षणोंपरान्त रोजगार के अवसर प्रदान करना।

विभाग द्वारा सेवा के अधिकार अधिनियम '2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं का विवरण–

क्र0स0	प्रदत्त सेवा का नाम	सेवा का विवरण/प्रक्रिया	निर्धारित समय सीमा	शुल्क	सेवा का माध्यम
1–	पंजीयन	बेरोजगार अभ्यर्थियों का पंजीयन किया जाता है। इस हेतु निम्न दस्तावेजो की आवश्यकता होती है। 1. उत्तराखण्ड का मूल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र 2. जन्मतिथि प्रमाण पत्र 3. शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र 4. जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो तो) 5. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) 6. अनुभव प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)	तीन दिवस	30रू0	अपुणी सरकार पोर्टल पर यह सेवा ऑनलाईन उपलब्ध है अभ्यर्थी द्वारा स्वयं/जन सेवा केन्द्र/ सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकता है। (www.eservices.uk.gov.in)
2–	नवीनीकरण	पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थियों के पंजीयन के 03 वर्ष पश्चात नवीनीकरण किया जाता है। बेरोजगार अभ्यर्थियों का नवीनीकरण किये जाने हेतु निम्न दस्तावेजो की आवश्यकता होती है। 1.पूर्व में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र 2.उत्तराखण्ड का मूल/स्थायी	तीन दिवस	30रू0	अपुणी सरकार पोर्टल पर यह सेवा ऑनलाईन उपलब्ध है अभ्यर्थी द्वारा स्वयं/जन सेवा केन्द्र/ सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकता है। (www.eservices.uk.gov.in)

		निवास प्रमाण पत्र 3. जन्मतिथि प्रमाण पत्र 4. शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र 5. जाति प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो तो) 6. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) 7. अनुभव प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)			
3—	शैक्षिक योग्यता में वृद्धि	पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता वृद्धि किये जाने हेतु निम्न दस्तावेजो की आवश्यकता होती है। 1.पूर्व में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र 2. शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र	तीन दिवस	निशुल्क	अपुणी सरकार पोर्टल पर यह सेवा ऑनलाईन उपलब्ध है अभ्यर्थी द्वारा स्वयं/जनसेवाकेन्द्र/ सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से अपना पंजीकरण कर सकता है। (www.eservices.uk.gov.in)

उत्तराखण्ड सेवा के अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित प्रत्येक सेवावार पदाभिहित अधिकारी, प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय अधिकारियों के पदनाम

क्र0 स0	प्रदान की जाने वाली सेवा	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा हेतु निर्धारित समय	प्रथम अपीलीय अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निस्तारण के लिए निश्चित की गई समय–सीमा	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम	द्वितीय अपील के निस्तारण के लिए निश्चित की गयी समय–सीमा
1	रोजगार पंजीकरण	सम्बन्धित जिला /नगर/ सहायक सेवायेाजन अधिकारी/उपप्रमुख यू0ई0बी0	तीन दिन	सम्बन्धित क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी	30 दिन	उपनिदेशक सेवायोजन, उत्तराखण्ड, देहरादून	60 दिन
2	रोजगार पंजीकरण/ नवीनीकरण	सम्बन्धित जिला /नगर/ सहायक सेवायेाजन अधिकारी/उपप्रमुख यू0ई0बी0	तीन दिन	सम्बन्धित क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी	30 दिन	उपनिदेशक सेवायोजन, उत्तराखण्ड, देहरादून	60 दिन
3	पंजीकृत शैक्षिक योग्यता में वृद्वि	सम्बन्धित जिला /नगर/ सहायक सेवायेाजन अधिकारी/उपप्रमुख यू0ई0बी0	तीन दिन	सम्बन्धित क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी	30 दिन	उपनिदेशक सेवायोजन, उत्तराखण्ड, देहरादून	60 दिन

अति आवृतक प्रश्न

1. सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन कराने की न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्या है ?
   उत्तर– सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित है तथा अधिकतम आयु सीमा के सम्बन्ध में कोई प्रतिबंध नहीं है।

2. सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन करने का निर्धारित शुल्क क्या है ?
   उत्तर– सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन करने का निर्धारित शुल्क 30 रू0 है।

3. मैं अपना पंजीयन किस प्रकार सेवायोजन कार्यालय में कर सकता हूँ ?
   उत्तर– अभ्यर्थी ई–डिस्ट्रिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन स्वयं या जनधार केन्द्र अथवा निकटस्थ सेवायोजन कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पंजीयन करा सकते हैं।

4. क्या पंजीयन के पश्चात मुझे नौकरी सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से मिल जायेगी ?
   उत्तर– सेवायोजन विभाग में पंजीकृत युवाओं को सेवायोजन/रोजगार प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है, इस कार्य हेतु समय समय पर निजी क्षेत्र के नियोजकों को आमंत्रित कर प्लेसमेंट ड्राइव के माध्यम से रोजगार प्रत्याशी युवाओं को रोजगार/प्रशिक्षणोपरांत रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है।

5. सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन हेतु किन–किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है ?
   उत्तर– पंजीयन हेतु निम्न प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है–
   1. उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
   2. जन्म तिथि प्रमाण पत्र।
   3. शैक्षिक/तकनीकी योग्यता के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
   4. जाति प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)।
   5. विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)।
   6. अनुभव प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)।

6. क्या मेरा पंजीयन कार्ड का स्थानान्तरण अन्य सेवायोजन कार्यालय में हो सकता है ?
   उत्तर– सेवायोजन कार्यालयों में ऑनलाईन पंजीयन की व्यवस्था होने के कारण अभ्यर्थी किसी भी स्थान से अपना पंजीयन करा सकता है। अतः पंजीयन कार्डो के स्थानान्तरण की व्यवस्था नहीं है।

7. नवीनीकरण की समय अवधि क्या है ?
   उत्तर– पंजीयन के नवीनीकरण हेतु 3 वर्ष की समयावधि है, जिसमें 2 माह का अंतरिम राहत भी दिये जाने का प्रावधान है। जैसे– अभ्यर्थी का पंजीयन 01 अगस्त, 2018 का है, तो उसका पंजीयन 31 अक्टूबर, 2021 तक किया जा सकता है।

8. पंजीयन पश्चात अतिरिक्त शैक्षिक योग्यता में वृद्धि करने की प्रक्रिया क्या होगी ?

उत्तर– अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक योग्यता वृद्धि हेतु स्वयं/जनाधार केन्द्र/निकटस्थ सेवायोजन कार्यालय में उपस्थित होकर, पूर्व में जारी अपना पंजीयन प्रमाण–पत्र तथा अपनी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण ऑनलाईन अपलोड कराने होंगे।